क्रमांक -

आवेदन पुस्तिका

नगर विकास न्यास, कोटा

महाराणा प्रताप फार्म हाउस योजना

रावतभाटा रोड़, कोटा

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार

श्री श्रीचन्द कृपलानी
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री
राजस्थान सरकार

श्री रामकुमार मेहता
अध्यक्ष
नगर विकास न्यास, कोटा

राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन से रावतभाटा रोड़ पर 200 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर नयागांव से आगे एवं गेपरनाथ महोदव से 4.5 कि. मी. पहले स्थित है।

आवेदन पत्र का विक्रय आरम्भ करने की तिथि — **12 जून 2017**

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि — **11 जुलाई 2017**

500/-

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है।
   पूर्ण फार्म रू. 202000/– पंजीयन राशि व प्रशासनिक शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट **सचिव नगर विकास न्यास, कोटा** के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे।
2. फार्म के साथ Pan Card की स्व अनुप्रमाणित प्रति
3. आवेदक अपने खाते का एक Cancelled Cheque CTS 2010 संलग्न करें।
4. निवास प्रमाण–पत्र
5. अगर आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया है तो सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करें।
6. फोटो पहचान–पत्र

ध्यान देने योग्य बातें .....

1 अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड् खरीदे।
2 नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
3 नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
4 नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्ड़ों का हस्तान्तरण करें।
5 अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।
6 कोई भी भूखण्ड् खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान मांगें।
7 भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर नगर विकास न्यास से लेआउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
8 अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमि रूपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

नगर विकास न्यास द्वारा ई–आक्शन लागू किया गया है। अगर आप ई–आक्शन के माध्यम से कोई भी भूखण्ड लेना चाहते है तो न्यास की Website: www.uitkota.org अथवा दूरभाष– 0744.2500539 पर सम्पर्क करें

कृपया अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें ।

नगर विकास न्यास, कोटा
Ph. : 0744 2500567
Email uitkota2002@yahoo.com www.uitkota.org

आवेदन पत्र दिनांक 12-06-2017 से 11-7-2017 तक रू. 500/- के शुल्क पर एक्सिस बैंक की निम्नलिखित शाखाओं से बैंक समय प्रातः 10.00 से अपरान्ह 4.00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इसी अवधि में निम्न बैंक शाखाओं में जमा करवाये जा सकतें है।

AXIS BANK

Axis Bank Ltd.
414, Shopping Centre. KOTA-324007
Ph.: 0744-2365511-18
Mr. Kulvinder Sharma Mob.: 8875002283

Axis Bank Ltd.
Near T.T. Hospital,
Rangbari Road, KOTA-324005
Ph.: 0744-2407412-14
Mr. Rajesh - Mob.: 7665019553

Axis Bank Ltd.
Opp RAPP Guest House,Station Road,
Bhimganj Mandi, KOTA-324002
Ph.: 0744-2980283
Mr. Navneet Nama Mob.: 9950517823

Axis Bank Ltd.
G-6,7,8,9,11, Bagherwal four season building, Rajeev Gandhi Nagar
Opp. City Mall Kota-324005
Mr. Akash Banasha- Mob.: 9116128977

NODAL OFFICER - Kulvinder Sharma- 8875002283

योजना के आकर्षण:

1. एन.एच.27 बाइपास फोरलेन के नजदीक स्टेट हाइवे 33 पर।
2. कोटा रावतभाटा मेनरोड़ पर दाहिनी ओर।
3. गेपरनाथ महादेव पर्यटन स्थल के समीप।
4. गणेश उद्यान,खड़े गणेश जी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय एवं खुला विश्व विद्यालय के नजदीक।
5. मुकुन्दरा राष्ट्रीय अभ्यारण के समीप।
6. जवाहर सागर डेम,एतिहासिक बाडोली मन्दिर एवं राणा प्रताप सागर डेम से सुगम पहुंच।

मुद्रकः तिरुपति ऑफसेट प्रिन्टर्स प्रा. लि., 5-बी-46, विज्ञान नगर, कोटा फोन 2420103

नगर विकास न्यास, कोटा

महाराणा प्रताप फार्म हाउस योजना रावतभाटा रोड़, खसरा नं. 147 ग्राम दौलतगंज नयागांव आम जनता को आवेदन करने हेतु प्रस्तुत है। योजना में आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 18 निर्धारित है जिसकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा।, जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

महाराणा प्रताप फार्म हाउस योजना रावतभाटा रोड़ की आवेदन पुस्तिका में आवदेन की शर्ते, भूखण्डों की साइज आदि बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया है।

यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन से रावतभाटा रोड़ पर 200 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर नयागांव से आगे एवं गेपरनाथ महादेव से 4.5 कि.मी. पहले स्थित है। आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन से पूर्व पुस्तिका में वर्णित शर्तो आदि का ठीक प्रकार से अध्ययन कर योजना स्थल का मौके पर जाकर अवलोकन कर लेंवे तथा न्यास की इस योजना में आवेदन का लाभ उठायें।

शुभकामनाओं सहित।

रामकुमार मेहता
अध्यक्ष
नगर विकास न्यास,कोटा

सियाराम मीना
सचिव
नगर विकास न्यास,कोटा

1.योजना स्थल:-

यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन से रावतभाटा रोड़ पर 200 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर नयागांव से आगे एवं गेपरनाथ महादेव से 4.5 कि.मी. पहले स्थित है।

2.उपलब्ध भूखण्डों का विवरण:-

भूखण्डों की संख्या (लगभग)	भूखण्डों का माप (लगभग) वर्ग मीटर में	अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि
18	2500 वर्गमीटर से 2800 वर्गमीटर तक	4100 /-रू प्रतिवर्ग मीटर	2. 00 लाख रू.तथा
			प्रशासनिक शुल्क 2000/-रू (NON REFUNDABLE)

3.योजना का विवरण:-

उक्त योजना में न्यास ने 18 भूखण्ड फार्म हाऊस के लिए आवंटन हेतु निर्धारित किये है। उक्त संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढाई जा सकती है। सभी भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। भूखण्डो की आवंटन दर 4100/-प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। आंवटी को फार्म हाऊस भूखण्डो के 10 प्रतिशत क्षेत्र अथवा 500 व.मी. अथवा सेट बैक के अन्दर जो भी कम हो पर निर्माण स्वीकृति दी जावेगी, शेष पर हरियाली विकसित करनी होगी। अग्र सेट बैक में 30 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा।

4.पात्रता:-

1. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा आवेदन की दिनांक को आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
2. आवेदक,कम्पनी/फर्म/एजेन्सी होने की दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. आवेदक कम्पनी/फर्म/एजेन्सी होने की दशा में आरक्षण देय नही होगा।
4. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन-पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातो के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 'केवाईसी' मानको का पालन किया है।
5. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिए।

5.आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाः-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जाकर उसी बैंक में जमा किये जाऐंगे। आवेदक या तो अपने नाम से या संयुक्त आवेदक के रूप में केवल एक आवेदन पत्र जमा करा सकता/सकती है।
2. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरो में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला,गली,बाजार,मकान नं0 सहित शहर/जिले का नाम, पिनकोड नं0 सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम लिखे।
3. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।
4. संयुक्त आवेदन के विषय में दोनों आवेदक के फोटो लगाना आवश्यक है तथा प्रपत्रो पर दोनों के क्रमांनुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है।
5. आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
6. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे जो कॉलम लागू नही होता हो उसे स्पष्ट रूप से (X) नहीं अंकित करें।
7. यदि आप राज्य सरकार के नियमानुसार किसी आरक्षण वर्ग के पात्र हो तो निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6. विशेष अनुदेशः-

1. आवेदक अपना नाम पैन कार्ड (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या) के अनुसार लिखें।
2. आवदेक का स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही पेन कार्ड की स्वअनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) संलग्न करें।
4. कृपया एसटीडी कोड सहित अपना फोन नं0, ई–मेंल आईडी और मोबाईल नं0, यदि कोई हो, दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में बैंक को सहायता मिलेगी।
5. अशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन करेगा। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।
6. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।

7. धन राशि की वापसी का चैक/मांग एवं आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
8. यदि आवेदन संयुक्त नाम से किया गया हो, तो संयुक्त आवेदक के नाम का उल्लेख करें।
9. आरक्षित श्रेणी के मामले में आवेदक के साथ संयुक्त आवेदक के संबंध का उल्लेख करें।
10. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, ड्रिमाण्ड ड्राफ्ट ' सचिव यूआईटी कोटा' के पक्ष मे केवल कोटा में देय होना चाहिए।

7. आरक्षणः-

इस योजना के भूखण्डों का आरक्षण निम्नानुसार रहेगाः–

अनुसूचित जाति के आवेदको के लिए।	अनुसूचित जनजाति के आवेदको के लिए।	सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवाओं के लिए।	शारीरिक निःशक्तजनों के लिए।	अधिस्वीकृत पत्रकार	राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए।	सामान्य श्रेणी के लिए
9%	6%	10%	3 %	2 %	10 %	60 %

स्पष्टीकरणः-

1. जो व्यक्ति राज0 सरकार/राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीन कार्यरत है तथा राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे आवेदक को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है ऐसे व्यक्ति का राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. सैनिक का अर्थ थल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., एवं सी. आई.एस.एफ., कार्यरत अथवा इन सेवाओ से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी से है।
4. सैनिको की विधवाये वे है जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई है।
5. अधिस्वीकृत पत्रकार वे है जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे है।
6. विकलांग व्यक्ति वे है जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।
7. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नही होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डो का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदको को किया जायेगा।

8. आवेदन कैसे करें:-

1. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर रहे आवेदक को राशि दो लाख रूपये (2,00,000/—)की पंजीकरण राशि एवं प्रशासनिक शुल्क 2000/— रूपये जमा कराने होंगे। उक्त राशि सचिव, यूआईटी कोटा के नाम देय, किसी भी बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे—ऑर्डर द्वारा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी।
2. **संयुक्त आवेदक अगर आरक्षित वर्ग का लाभ लेते है तो उन्हे एक ही प्रकार की श्रेणी में होना आवश्यक है, जैसे राज्य कर्मचारी के वर्ग में आवेदन करने वाले संयुक्त आवेदकों में सभी का राज्य कर्मचारी होना आवश्यक है।**
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन—पत्र आवेदन पुस्तिका में वर्णित निर्धारित बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि तक बैंकिग समय में जमा कराया जा सकेगा। समय पश्चात किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए न्यास जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ चैक, मल्टीपल बैंकर्स चैक/मल्टीपल डिमाण्ड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रो को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
5. किसी भी सशर्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रो को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9. आवेदन पत्र जमा कराते समय निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे:-

(क) सभी श्रेणियों के लिए

1. सभी आवेदन पत्रो के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन (स्थाई खाता संख्या) की स्व अनुप्रमाणित प्रति।
2. निवास के प्रमाण पत्र के रूप में पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड,ड्राईविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति में से कोई एक।
3. फोटो पहचान पत्र।
4. पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का जमाशुदा चालान।
5. आवेदक अपने खाते का एक निरस्त चैक जो सीटीएस 2010 हो।

(ख) आरक्षित श्रेणी के लिए विशेषः–

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करने होंगेः–

1. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से संबंध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. यदि आवेदक अशक्त व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. भूतपूर्व सैनिको के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिको की विधवाओं,जिसमें उधारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएं भी शामिल है, की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा जारी किए गए '' अपेक्षित प्रमाण–पत्र'' की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. राज्य सरकार के विभागों एवम् राजकीय उपक्रमो के कर्मचारियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. आवंटन की प्रक्रियाः-

(1) योजना में 18 भूखण्ड है जो अलग–अलग माप के है। आवेदक को आवेदन पत्र में भूखण्ड का नाप लिखने का अधिकार नहीं होगा एवं लाटरी पश्चात् जिस भी माप एवं आकार का भूखण्ड उसे आवंटित होता है उसे स्वीकार योग्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन बाद में सम्भव नहीं होगा।

2) लाटरी येाग्य भूखण्डो की संख्या 18 है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई–बढाई जा सकती है। भूखण्डो का आवंटन लाटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लाटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में दी जावेगी, और लॉटरी के पूर्व अपूर्ण आवेदन पत्रों की सूची न्यास के सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी। आवेदको द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं करने पर उन्हें लाटरी हेतु अयोग्य माना जावेगा जिसकी जिम्मेदारी न्यास की नहीं होगी।

(3) सफल आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र पंजीकृत डाक से भेजे जाऐंगे तथापि ड्रॉ का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदक/आवंटी को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नही मिलने के लिए न.वि.न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

11. मांगी गई राशि के भुगतान की पद्धतिः-

(1) लाटरी में सफल आवेदको को आवंटन पत्र जारी किए जावेंगे। भूखण्डो की राशि आवंटन पत्र के 30 दिन में एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात आवंटी अगले 60 दिन तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करा सकेगा। इसके पश्चात आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा शुदा अग्रिम राशि जब्त कर ली जावेगी। आवेदन पत्र के साथ जमा कराई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि नकद/स्थानीय चैक/डी.डी./पे-ऑर्डर से आवेदन पुस्तिका में दिये गए बैंक में देय तिथि तक जमा कराई जा सकेगी। निर्धारित तिथि तक न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा। भूखण्ड की राशि के साथ साईट प्लान के रू. 200/- अतिरिक्त जमा कराने होंगे। दिनों व ब्याज की गणना आवंटन पत्र की तिथि से की जावेगी, जिसमें आवंटन पत्र प्राप्ति के सात दिन जोडे जावेंगे।

12. असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी की प्रक्रिया :-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदन पुस्तिका में दर्शाये गए नोडल बैंक द्वारा जहां आवेदक ने आवेदन पत्र जमा किया हो, द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के चैक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक द्वारा योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी हानि/मूटिलेशन धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यदि आवेदन संयुक्त नाम में हो तो वापसी केवल प्रथम आवेदक के नाम में की जावेगी और इसलिए केवल उसी का बैंक एकाउंट नम्बर दिया जाना चाहिए। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिन्हित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।
3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां कोरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां धनराशि वापिस करने के चैक/मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगें। ऐसे मामलो में आवेदक को पुस्तिका में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है ।

इन मामलो में आवेदक/आवंटी द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नही होगा।

टिप्पणी— यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापिस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे क्योकि इन ब्यौरों को धन वापिसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नही करेगा । ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

13. भूखण्डों की रजिस्ट्रीः-

आवंटी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण बकाया राशि,लीज आदि जमा कराने पर न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। इस पट्टा विलेख का पंजीयन,पंजीयक मुद्रांक कार्यालय, कोटा में आंवटी द्वारा कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर न्यास द्वारा बैंक/सरकारी वित्तीय संस्थाओ को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

14. भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज):-

भूखण्ड का नगरीय कर नियमानुसार जमा करवाना होगा।

15. भूखण्ड का कब्जाः-

सम्पूर्ण राशि जमा होने पर 12 माह के अन्दर लीज डीड का पंजीयन नही कराने पर न्यास द्वारा 2000/— प्रतिमाह शास्ति (पेनल्टी) लगाई जावेगी। लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद दो माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा न्यास के अधिकृत भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । भूखण्ड जिस स्थिति में हे उसी अनुसार कब्जा दिया जावेगा। कब्जा प्राप्ति हेतु न्यास से सम्पर्क नहीं करने पर आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा। साइट प्लान व मौके पर कब्जा देते समय अतिरिक्त भूमि होने पर उसकी नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आंवटी द्वारा जमा करानी होगी।

16. भूखण्ड पर निर्माण कार्यः-

फार्म हाउस के आवंटन तिथि से 5 वर्ष के अन्दर फार्म हाउस पर निर्माण कार्य करना होगा तथा हरियाली विकसित करनी होगी। अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों मे न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढा सकते है। भूखण्ड निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। निर्मित आवास में न्यास की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत भूखण्ड के क्षेत्र के 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्ग मी. अथवा सेट बैक के अन्दर जो भी कम में निर्माण कार्य कराया जा सकेगा शेष 90 प्रतिशत में हरियाली विकसित की जानी होगी। अग्र सेट बैक में 30 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा।

17. भूखण्ड का हस्तान्तणः-

आवंटन तिथि से 5 वर्ष तक किसी भी स्थिति में भूखण्ड का हस्तांतरण नही किया जा सकेगा। अगर आवंटी आवंटन से 5 वर्ष पश्चात् किन्तु 10 वर्ष पूर्व भूखण्ड हस्तांतरण करता है तो उस समय की प्रचलित आरक्षित दर अथवा आवंटन दर दोनों में से जो भी अधिक हो, की 5 प्रतिशत राशि लीजाकर नियमानुसार अनुमति दी जा सकेगी परन्तु भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्ति करने का आवंटी का अधिकार समाप्त हो जावेगा।आवंटित के नाम भूखण्ड की रजिस्ट्री होने के बाद ही विक्रय अनुमति दी जा सकेगी। विक्रय/हस्तान्तरण की पूर्वानुमति न्यास से प्राप्त की जाना आवश्यक है। भूखण्ड संबंधी सभी नियम/निर्णय आवंटी को मान्य होंगे।

18. अन्यः-

1. भूखण्ड का आवंटन फार्म हाऊस विकसित करने हेतु किया जाना है। अन्य प्रयोजन हेतुं करने अथवा उपयोग करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर समस्त जमा शुदा राशि जब्त कर ली जावेगी।
2. भूखण्ड का उप विभाजन न्यास की स्वीकृति के बिना नही किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डों की एक ईकाई बनाई जावेगी। ऐसा करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
4. समस्त पत्राचार चैक, ड्राफ्ट सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से होगा।
5. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।

6. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होंगे।
7. भूखण्डो की माप/संख्या में कम/ज्यादा की जा सकती है। विषम परिस्थितियो में आवंटित भूखण्ड का कब्जा नही दिए जाने की स्थिति मे ंन्यास द्वारा प्रस्तावित अन्य भूखण्ड प्राप्त करना होगा तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।
8. यदि न्यास कार्यालय में पाये गये कि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे मे रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तो का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदको की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर एवं शुल्क जमा कराने आदि की जिम्मेदारी आवंटी की स्वयं की होगी।
10. भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य होगा।
11. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि आंवटी से ली जावेगी।
12. लॉटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना लेखाधिकारी/उपनगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
13. आवेदक भूखण्डो को आवेदन से पूर्व मौके पर जाकर देख लेंवे।
14. आवेदक/आवंटी स्वयं इस बात की जानकारी अपने बैंक से प्राप्त करें कि उसके द्वारा दिया गया चैक बैंक ने निर्धारित तिथि से पूर्व पारित कर दिया है। न्यास द्वारा अस्वीकृत चैक की सूचना नही दी जावेगी।

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक ....

नवीनतम सत्यापित फोटो

पंजीयन राशि जमा करने की अन्तिम तिथि :– 11 जुलाई 2017

आवेदन पत्र

महाराणा प्रताप फार्म हाऊस योजना, रावतभाटा रोड़, कोटा

1. आवेदक/संयुक्त आवेदको का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
   (यदि शादी शुदा महिला हो तो पति का नाम अंकित करें)
3. आवेदक का स्थाई पता..
   ....मोबाईल/टेलिफोन नं ....
4. बैंक खाता संख्या.............................. बैंक का नाम ....

. स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER)......................................

5. जिस वर्ग में आरक्षण चाहते है, उस पर सही (✓) का निशान लगाऐ :–

☐ (1) सामान्य (5) राज्य/अर्द्वसरकार के कर्मचारी ☐

☐ (2) अनुसूचित जाति (6) अधिस्वीकृत पत्रकार ☐

☐ (3) अनुसूचित जन जाति (7) शारीरिक निःशक्तजन ☐

☐ (4) सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार)

6. पंजीयन राशि जमा का विवरण :–

   (1) चालान .... (2) दिनांक ....

   (3) राशि .... (4) डी डी नं. ....

7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र (नाम अंकित करें) :–

   ☐ PAN CARD ☐ D.D. ☐ Cancelled Cheque CTS 2010

   ☐ निवास प्रमाण–पत्र ☐ फोटो पहचान पत्र ☐ आरक्षित वर्ग का प्रमाण–पत्र

8. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।
9. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड/आवास का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
10. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
11. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक :

स्थान : आवेदक/संयुक्त आवेदको के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये

नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :

महाराणा प्रताप फार्म हाऊस योजना रावतभाटा रोड़, कोटा

क्रमांक

आवेदन क्रमांक ....

चालान राशि ....

बैंक व शाखा का नाम **AXIS BANK**

चालान संख्या ....

जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील